अ.शा.पत्र सं. डब्ल्यू 11042/13/2013/जल

8 जुलाई 2014

प्रिय,

जैसा कि आपको विदित है , बहुत से राज्यों में अत्यधिक दोहन के कारण जलस्तर बहुत तेजी से घटता जा रहा है और सीजीडब्ल्यूबी ने बहुत से ब्लॉकों को अत्यधिक दोहित, संकटपूर्ण, न्यून संकटपूर्ण आदि के रूप में पहचाना है, ताकि बहुत से स्थानों में भूजल में विद्यमान संदूषणों से पार पाया जा सके, साथ ही यह मंत्रालय बहुत से गाँवों को शामिल करते हुए बहु ग्राम स्कीम के रूप में पाइप लाइनों के माध्यम से सतही पेयजल की आपूर्ति करने जा रहा है। इस प्रकार की स्कीमें पहले ही बड़े पैमाने पर गुजरात राज्य में और छोटे पैमाने पर राजस्थान आदि जैसे राज्यों में विद्यमान है। इन सभी स्कीमों में पेयजल का स्त्रोत विद्यमान बांध अथवा जलाशय है जो विद्युत उत्पादन, कृषि, आद्योगिक जल एवं ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए पेय जल हेतु जल की आपूर्ति भी करता रहता है।

2. राष्ट्रीय जल नीति 2012 के तहत पेय जल पहली प्राथमिकता संख्या एक बना हुआ है। मै आभारी हूँगा यदि आप विभिन्न बांधों और जलाशयों में उपलबध राज्य वार अतिरिक्त क्षमता आ पूरित कर सकें जिन्हें कि विभिन्न गाँवों में पेयजल के लिए पाइप लाइनों के माध्यम से दोहन किया जा सकता है और ऐसे प्रत्येक स्त्रोत की क्षमता का पेयजल हेतु उपयोग किया जा सकता है, ताकि संबंधित राज्य को पाइप लाइनों के माध्यम से पेय जल स्कीम की योजना बनाने हेतु संवेदी बनाया जा सके।

3. आपके मंत्रालय द्वारा जलाशय क्षमता को बढ़ाने से संबंधित संवर्धन योजनाओं को आने वाले उत्तरवर्ती वर्षों में इंगित किया जा सकता है जिसमें प्रस्तावित अतिरिक्त क्षमता के भावी वर्षोंको इंगित किया गया हो और साथ ही पानी जो कि पीने के उद्देश्यों के लिए छोड़ दिया जा सकता है को भी दर्शाए ताकि भावी स्कीमें भी तदनुसार भी बनाई जा सकें।

4. इससे नई पाइप लाइन स्कीमों के निर्माण हेतु राज्यों के साथ कार्य करने में हम सक्षम होंगे।

5. इसे कृपया आवश्यक समझा जाए।

सादर

आपका

(पंकज जैन)

श्री आलोक रावत , भा.प्र.से.

सचिव

जल संसाधन मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली

एनओओ

1. मंत्री डीडब्ल्यू के नि.स.को

2. राज्यमंत्री डीडब्ल्यू क वि.स.

3.सं.सं.(जल)

(पंकज जैन)